कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/यूजी–2021/405 लखनऊ:दिनांक– 17 फरवरी, 2022

यू0पी0 नीट यू0जी0 2021 की ऑनलाईन काउंन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 के अन्तर्गत प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पंजीकरण कराने के पश्चात् निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार अपने द्वारा चुने गये नोडल सेन्टर (नोडल सेन्टर की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है) पर अभिलेखों का सत्यापन करा सकते हैं:–

क0सं0	पंजीकृत अभ्यर्थी	अभिलेखों के सत्यापन की तिथि
1	दिनांक 17 फरवरी, 2022 को पंजीकृत	18 फरवरी, 2022
2	दिनांक 18 फरवरी, 2022 को पंजीकृत	19 फरवरी, 2022
3	दिनांक 19 फरवरी, 2022 को पंजीकृत	20 फरवरी, 2022 (मेडिकल कालेज, कन्नौज/कानपुर/जालौन/झांसी/यू0पी0यू0एम0एस0 सैफई इटावा को छोड़कर)
4	दिनांक 20 फरवरी, 2022 को पंजीकृत	21 फरवरी, 2022
5	दिनांक 21 फरवरी, 2022 को पंजीकृत अथवा छूटे हुए अभ्यर्थी	22 फरवरी, 2022
6	प्रथम/द्वितीय चक्र के दौरान छूटे हुए पंजीकृत अभ्यर्थी	उपरोक्त किसी भी तिथि में

- दिनांक 20 फरवरी, 2022 को कुछ जिलों में विधानसभा चुनाव होने के दृष्टिगत उपरोक्त तालिका में उल्लिखित जिलों के नोडल सेंटर बन्द रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने दिनांक 19 फरवरी, 2022 को पंजीकरण कराया है, वह अपने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 21 फरवरी, 2022 को अपने द्वारा चुने गये नोडल सेंटर पर करा सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग में सिक्योरिटी धनराशि रू0 30,000/–(तीस हजार रूपये) जमा किया है और द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में निजी क्षेत्र के कालेजों हेतु इच्छुक हैं, उन्हें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय रू0 2.00/1.00 लाख का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट प्रथम चक्र में चुने हुए नोडल सेंटर पर जमा कर अभिलेखों का सत्यापन करा सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त हुआ था, किन्तु आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा प्रवेश लेने के बाद आवंटित सीट से त्याग–पत्र दे दिया गया है, वह पुनः अभिलेखों का सत्यापन कराते हुए सिक्योरिटी धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- सिक्योरिटी धनराशि के डी0डी0 वापस किये जाने के सम्बन्ध में द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के पश्चात् पृथक से निर्देश/सूचना जारी की जाएगी।

(महानिदेशक)
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।